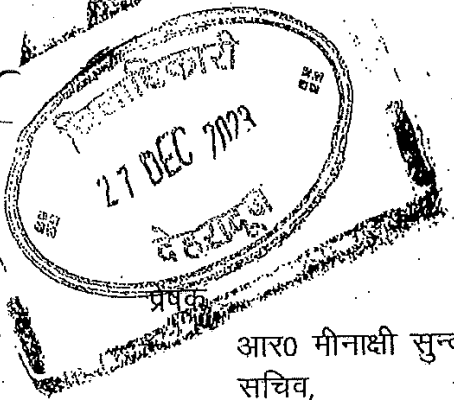
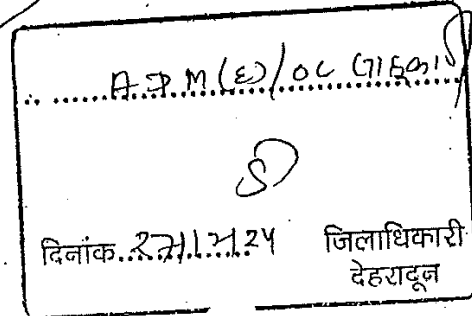


संख्या-013 /1(2)/2024-06(3)-23/2024



प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड शासन।
सेवामें,
प्रबंध निदेशक,
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०,
देहरादून।



ऊर्जा अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक 20 दिसम्बर, 2024

विषय- राज्य के घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को विद्युत टैरिफ में सब्सिडी प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक निगम के पत्र संख्या-5885/प्र0नि0/उपाकालि/V-2 दिनांक 18.09.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक 16 सितम्बर, 2024 को की गयी घोषणा के क्रम में राज्य के घरेलू श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत टैरिफ में सब्सिडी प्रदान करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2. उक्त शासनादेश दिनांक 24.09.2024 में उल्लिखित शर्तों के सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य के घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को विद्युत टैरिफ में सब्सिडी प्रदान किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

- हिम-आच्छादित क्षेत्र (Snow bound area) के घरेलू श्रेणी के ऐसे विद्युत उपभोक्ता जिनका मासिक विद्युत उपभोग 200 यूनिट तक है, को लागू विद्युत दरों (विद्युतकर सहित) में 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जायेगी, हिम-आच्छादित क्षेत्र (Snow bound area) का निर्धारण प्रचलित नियमों के अनुसार सम्बन्धित क्षेत्र की समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर योजना का लाभ उत्तराखण्ड नियामक आयोग द्वारा निर्धारित विद्युत टैरिफ के अन्तर्गत सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा अधिसूचित कर अनुमन्य कराया जायेगा।
- अन्य क्षेत्रों के घरेलू श्रेणी के ऐसे उपभोक्ता जिनका अनुबन्धित विद्युत भार 1 किलोवाट तक तथा मासिक विद्युत उपभोग 100 यूनिट तक है, को विद्युत दरों (विद्युत कर सहित) में 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जायेगी।
- उक्त सब्सिडी 01 सितम्बर, 2024 से की गई विद्युत खपत पर अनुमन्य होगी।

- iv. किसी सम्पत्ति में घरेलू श्रेणी के अन्तर्गत 1 किलोवाट विद्युत भार के एक से अधिक संयोजन उस सम्पत्ति के विधिक विभाजन के उपरान्त ही अनुमन्य होंगे। लाभार्थी द्वारा उक्त योजना का दुरुपयोग पाये जाने पर सम्बन्धित लाभार्थी की सब्सिडी की सुविधा तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी तथा उसे तब तक की प्रदान की गयी सब्सिडी का दो गुना धनराशि आगामी बिल में जोड़ कर वसूल की जायेगी।
 - v. उक्त सब्सिडी उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०, पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि० एवं उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि० के सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मिकों तथा पारिवारिक पेंशनरों को निर्गत विभागीय विद्युत संयोजन पर अनुमन्य नहीं होगी।
 - vi. विद्युत टैरिफ में सब्सिडी का लाभ एक परिवार को एक ही विद्युत कनेक्शन पर दिया जायेगा तथा यूपीसीएल द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजनान्तर्गत सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने हेतु उपभोक्ताओं द्वारा बिना किसी उचित कारण उनके पूर्व से स्थापित विद्युत संयोजन की क्षमता को कम करने अथवा एक से अधिक विद्युत संयोजन में परिवर्तित करने का प्रयास न किया गया हो।
 - vii. धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के सुसंगत प्राविधानों एवं भित्तव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 - viii. योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों का विवरण यूपीसीएल की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।
 - ix. उक्त सब्सिडी का व्यय भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।
3. यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के कम्प्यूटर जनित सं०-242468/2024 दिनांक 24 सितम्बर, 2024 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।
 4. अतः शासनादेश दिनांक 24.09.2024 उक्त सीमा तक संशोधित पढ़ा एवं समझा जायेगा।

भवदीय,

(आर० मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव

संख्या- 813 /1(2)/2024-06(3)-23/2024, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित:-

1. मुख्य निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, देहरादून।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

4. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- ✓ 5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, एनआईसी, सचिवालय परिसर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश को ऊर्जा विभाग की विभागीय साईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(गीता शर्मा)

अनुसचिव।